

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2023—आषाढ़ 29, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

No. CT-11-0009-2022-Sec-1-पांच (CT)(20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी—कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—पांच में,—

1. खण्ड 4 में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ख) लिखित परीक्षा या ऑनलाईन परीक्षा में दो प्रश्न—पत्र होंगे. प्रत्येक प्रश्न—पत्र 150 अंकों का 2:30 घंटे की अवधि का होगा. परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न—पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रत्येक प्रश्न—पत्र में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे."

2. खण्ड 4 में, उपखण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(घ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त विक्रम पुरस्कार या भारत शासन द्वारा प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार/द्रोणाचार्य पुरस्कार/ध्यानचंद पुरस्कार/ तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार या ओलम्पिक/एशियन गेम्स में मेडल प्राप्त कर्मचारियों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे."

3. खण्ड 5 में, उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को नीचे दर्शाए गए अनुसार अंक दिए जाएंगे :-

उत्कृष्ट	(A+)	:	20
बहुत अच्छा	(A)	:	15
अच्छा	(B)	:	10
औसत	(C)	:	05"

4. विद्यमान उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

उपाबंध

प्रश्न पत्र-1

अधिकतम अंक 150

(1) सामान्य ज्ञान :- (45 अंक)

सामयिक घटनाओं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, सुसंगत घटनाएं तथा मध्यप्रदेश राज्य के बारे में सामान्य जानकारी पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

(2) सामान्य हिन्दी :- (45 अंक)

हाई स्कूल स्तर तक की सामान्य हिन्दी व्याकरण पर सामान्य शब्दों तथा आनुकल्पिकों के अर्थ और उसके उपयोजन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

(3) प्रारंभिक गणित :- (60 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयत तथा अनुपात, परिमाण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

प्रश्न पत्र-2

अधिकतम अंक 150

(1) शासकीय सेवा के नियमों से संबंधित सामान्य ज्ञान :- (60 अंक)

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियमों, आचरण नियमों के बारे में ज्ञान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

(2) विभाग में प्रयोग में आने वाले शब्दों तथा पारिभाषिकी का ज्ञान :- (30 अंक)

विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शब्द जिनका विभाग में विशिष्ट अर्थ है और ऐसे शब्दों का ज्ञान जो विभाग के लिए आवश्यक है, उन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

(3) विभाग से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञान :- (60 अंक)

विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों आदि की जानकारी, जिनसे विभाग का कार्य संपादित किया जाता है, उन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्रमांक CT-11-0009-2022-Sec-1-पांच(CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-11-0009-2022-Sec-1-पांच(CT)(20), दिनांक 20 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2023

No. CT-11-0009-2022-Sec-1-V (CT) (20).-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department sub-ordinate Taxation Service (Class-III Executive) Recruitment Rules, 2007, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-V,

1. In clause 4, for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

“(b) In the written examination or online examination there shall be two papers of 150 marks each. For the period of 2:30 hours each. Minimum 50 percent marks in each paper shall be obtained for qualifying the examination. Scheduled caste and scheduled tribe employees shall obtain minimum 45 percent marks in each paper.”

2. In clause 4, after sub-clause (c), the following sub-clause shall be added. namely :-

“(d) 10 additional marks shall be given to the employees who have been awarded Vikram Award by the Government of Madhya Pradesh or Arjuna Award/Dronacharya Award/Dhyanchand Award/Tenzing Norgay National Adventure Award by the Government of India or have won medals in Olympic/Asian Games.”

3. In clause (5), for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

“(2) Out of 20 Marks for each years character role, every candidate shall be given the marks as shown below :-

Outstanding	(A+)	:	20
Very good	(A)	:	15
Good	(B)	:	10
Average	(C)	:	05”

4. For the existing Annexure, the following Annexure shall be substituted, namely :--

Annexure

Question Paper-1

Max. Marks 150

- (1) **General knowledge :-** (45 Marks)
Objective type questions on Current events, history of India. Geography of India relevant incidents general information regarding the State of Madhya Pradesh.
- (2) **General Hindi :-** (45 Marks)
Objective type questions on General Hindi Grammer up to High School level meaning and application of general words and its alternatives.
- (3) **Elementary Maths :-** (60 Marks)
Objective type questions of Multiplication, division, decimal system, percentage, profit and loss, average, area, volume and ratio proportion.

Question Paper-2

Max. Marks 150

- (1) **General knowledge relating to rules of Government service :-** (60 Marks)
Objective type questions on Pay, Allowances, Leaves, General Provident Fund, Recruitment Rules, knowledge about the Conduct Rules.
- (2) **Knowledge of words and terminology used in the department :-** (30 Marks)
Objective type questions on various words generally used in the department which have specific meaning in the department and knowledge of that words are necessary for department.
- (3) **Knowledge of Act and Rules relating to department :-** (60 Marks)
Objective type questions on knowledge of the various Acts and Rules with which the work of the department is carried out.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ PUSHUP, Dy. Secy.